कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

सहकार संवाद

नवम्बर-दिसम्बर 2022 अंक-08, वर्ष-02

निबंधक की कलम से

दिनांक 29 दिसंबर 2022 को सरकार गठन के तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (MSRY) के तहत प्रथम चरण में राज्य के 6,63,000 लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से तात्कालिक सूखा राहत हेतु 232 करोड़ रुपये से से अधिक अनुग्राहिक राशि का अंतरण किया गया।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन, संसदीय कार्यमंत्री श्री आलमगीर आलम, तथा श्रम मंत्री श्री सत्यानन्द भोक्ता, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लाभार्थी को चेक का प्रतिरुप प्रदान करते हुए।

माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का शुभारंभ किया गया एवं वेबपोर्टल पर किसानों के ऑनलाइन आवदेन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। योजना के ससमय एवं सफल क्रियान्वयन हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, विभाग के माननीय मंत्री, एवं राज्य के अन्य वरीय अधिकारियों की सतत निगरानी एवं मार्गदर्शन में इस योजना को मूर्त्त रुप देने का कार्य विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया है।

वर्ष 2022 में झारखंड राज्य में सामान्य के विरुद्ध कम तथा विशेषकर मॉनसून के प्रारंभ में औसत से कम वर्षापात होने के कारण राज्य के 24 में से 22 जिलों (पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा को छोड़कर) के 226 प्रखंडों को कृषि विभाग के सुखाड़ आकलन प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार इन 226 प्रखंडों के किसान परिवारों को तत्काल सूखा राहत देने हेतु मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को प्रारंभ किया गया है। योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित किसान परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु 3500/– (तीन हजार पांच सौ रुपये) अग्रिम राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रज्ञा केंद्र में जाकर योजना के वेबपोर्टल https://msry.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र एक रुपये टोकन राशि का भुगतान आवेदक किसानों के द्वारा प्रज्ञा केंद्र को किया जाता है।

योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों द्वारा तीन श्रेणियों क्रमशः (क) इस वर्ष बुआई नहीं करने वाले किसान, (ख) 33% से ज्यादा फसल क्षति वाले किसान, एवं (ग) भूमिहीन कृषक मजदूरों में आवेदन किया जा रहा है जिसका सत्यापन राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं उपायुक्त स्तर पर ऑनलाइन किया जा रहा है। दिसंबर 2022 के अंत सभी श्रेणियों में कुल 25,84,863 किसानों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी योग्य आवेदकों के बैंक खातों में योजना के तहत राशि अंतरण की कार्रवाई प्रक्रिया में है तथा यथाशीघ्र इसे पूरा कर लिया जायेगा।

शुभ कामनाओं सहित

मृत्युंजय कुमार बरणवाल
निबंधक

सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के लिए नयी योजनाएं

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (N.C.D.C) द्वारा सहकारी समितियों को अल्पावधि एवं दीर्घावधि वित्तीय सहायता उपलब्ध करने हेतु दो नयी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है।

स्वंयशक्ति सहकार योजना

गत कुछ वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरे हैं ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों के माध्यम से महिला एसएचजी को धन की उपलब्धता बढ़ाने और महिला एसएचजी को पर्याप्त और शीघ्र ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए साख सहकारी समितियों के संसाधनयुक्त करने के लिए, एनसीडीसी ने योजना शुरू की है

1) योजना का उद्देश्य :

- गरीबों के लिए किफायती लागत पर प्रभावी एवं विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक पहुंच।
- सामान्य/सामूहिक सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों हेतु बैंक से पर्याप्त ऋण प्राप्त करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सुविधा प्रदान करना।
- स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना

2) सहायता के लिए पात्र सहकारी समितियां :

इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की कृषि साख सहकारी समितियां एनसीडीसी के ऋण के लिए पात्र होंगी।

- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ (PACS)
- जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs)
- राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)
- संघीय सहकारी समितियां/सहकारी संघ

3) पात्रता मानदंड :

प्रत्यक्ष वित्त पोषण के निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली क्रेडिट सहकारी समितियों को एनसीडीसी ऋण प्रदान किया जाएगा:

i) सहकारी समिति कम से कम 3 वर्ष से परिचालन में रही हो।

ii) सहकारी समितियों के पास सकारात्मक शुद्ध लाभ होना चाहिए, 100% प्रदत्त शेयर पूंजी से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई क्षरण नहीं होना चाहिए।

iii) सहकारी समितियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नकद घाटा नहीं होना चाहिए और पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

4) उद्देश्य जिसके लिए एनसीडीसी सहायता बढ़ाई जाएगी :

महिला स्वयं सहायता समूहों को कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण देने के लिए पात्र ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

5) फंडिंग का पैटर्न :

साख सहकारी समितियों की आवश्यकता के अनुसार और एनसीडीसी द्वारा मूल्यांकन के अनुसार (साख सहकारी समितियों के कारोबार कारोबार के टर्नओवर के अनुसार) महिला स्वयं सहायता समूहों को लघु/मध्यम अवधि के ऋण देने के लिए।

6) सुरक्षा :

एनसीडीसी की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित में से एक या दो या अधिक के संयोजन द्वारा सुरक्षित किया जाएगारू

1. ऋण राशि के 1.50 गुना से कम मूल्य की क्रेडिट सहकारी समितियों की अचल संपत्तियों का बंधक।
2. ऋण राशि के 1.10 गुना से कम अंकित मूल्य के साथ सावधि जमा रसीदों की प्रतिज्ञा
3. राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी।
4. महिला एसएचजी से प्राप्य ऋण सहकारी समितियों के ऋण/अग्रिम का दृष्टिबंधक, ऋण राशि के कम से कम 1.25 गुना तक।

उपरोक्त के अलावा, ऋण समझौता और डिमांड प्रॉमिसरी नोट भी निर्धारित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, उत्तर दिनांकित चेक भी सुरक्षा दस्तावेजों का हिस्सा बनेंगे।

7) ऋण जारी करने का तरीका :

आवेदन प्राप्त होने पर, प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृति पत्र में निर्धारित औपचारिकताओं और शर्तों को पूरा करने के बाद और ऋण की निकासी के लिए निर्धारित अवधि के भीतर एक या एक से अधिक किस्तों में ऋण विमुक्त की जाएगी।

8) ऋण की अवधि/अधिस्थगन/ब्याज दर :

लघु अवधि का कार्यशील पूंजी ऋण मूल राशि के पुनर्भुगतान में अधिकतम 6 महीने की मोहलत के साथ 3 साल तक के लिए होगा। हालांकि, ब्याज के भुगतान में कोई रोक नहीं होगी। क्रेडिट सहकारी समितियां भी वार्षिक सत्यापन के साथ परिक्रामी आधार पर 5 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकती हैं। ऋण की अदायगी अर्धवार्षिक किस्तों में की जाएगी

9) ब्याज दर :

समय–समय पर संशोधित ब्याज दर के लिए एनसीडीसी परिपत्र के अनुसार।

10) प्रोसेसिंग शुल्क और कानूनी शुल्क :

प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, सहकारी भुगतान के समय लागू कर सहित अधिकतम रु. 3.00 लाख के अधीन स्वीकृत राशि का 0.5% प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करेगा। हालांकि 1 वर्ष तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। उधारकर्ता सहकारी सुरक्षा दस्तावेजों के निष्पादन के लिए किए गए कानूनी खर्चों को पूरा करेगा।

धान –अधिप्राप्ति योजना 2022 – 23

भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के धान उत्पादक किसान को उनके धान का न्युनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने के लिए खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011–12 से झारखण्ड राज्य में धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गई है।

धान अधिप्राप्ति योजना को किसानों के बीच सहज, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए इस योजना का स्वरूप निर्धारित किया गया है :–

(1) धान अधिप्राप्ति हेतु नोडल एजेंसी : राज्य के सभी जिलो के लिए धान अधिप्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, राँची को नोडल अभिकरण बनाया गया है।

(2) न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस का भुगतान : किसानों से क्रय किये गए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, के द्वारा किया जाता है। धान के मूल्य का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है।

(3) धान–अधिप्राप्ति की सीमा : धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्वि0 निर्धारित है, अपवाद स्वरूप यदि कोई किसान 200 क्वि0 से अधिक धान बेचना चाहता है, तो ऐसे किसानों को संबंधित जिले के उपायुक्त के माध्यम से अनुमति प्रदान की जाऐगी।

(4) धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन : धान अधिप्राप्ति का कार्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के तहत कराया जाता है, जिसके लिये किसानों का निबंधन अनिवार्य होगा। किसानों का निबंधन हेतु फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र यथा–आधार संख्या, मोबईल नं0, बैंक खाता विवरणी, कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त भूमि का रकबा, जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा ई–उपार्जन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसान चाहें तो स्वयं भी ई–उपार्जन पोर्टल एवं बाजार एप के माध्यम से धान अधिप्राप्ति पंजी हेतु आवेदन कर सकते है। निबंधित किसानों को SMS/दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिप्राप्ति केन्द्रों पर धान बिक्री की तिथि एवं संबंधित टोकन की सूचना दी जाती है।

(5) धान अधिप्राप्ति केन्द्र : धान अधिप्राप्ति करने हेतु लैम्पस/पैक्स/FPO/कृषक सेवा सहकारी समिति/व्यापार मंडल/ग्रेन गोला तथा बाजार समिति धान अधिप्राप्ति का केन्द्र होते हैं। जिनका चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति के द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2021–22 में झारखण्ड में धान अधिप्राप्ति योजना :

खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2021–22 में राज्य के निबंधित किसानों से धान अधिप्राप्ति योजना की शुरूआत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री, श्री बादल पत्रलेख एवं खाद्य सार्वजनिक उपभोक्ता मामले विभाग के माननीय मंत्री, श्री रामेश्वर उरांव के कर कमलों द्वारा रांची जिला में स्थित नामकुम लैम्पस लि0, नाकुम से की गई थी एवं पूरे राज्य में निबंधित किसानों से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 80.00 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया था। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा पूरे राज्य में लैम्पस/पैक्स में 681 धान अधिप्राप्ति केन्द्र बनाये गये। निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए उस वित्तीय वर्ष में लगभग 274222 किसानों का धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन कराया गया एवं सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कुल 139321 निबंधित किसानों से लगभग 75.00 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई। इस योजना के सफल बनाने में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सभी सदस्यों का उल्लेखनीय योगदान रहा।

वर्ष 2022–23 में झारखण्ड में धान अधिप्राप्ति योजना :

वर्ष 2021–22 में धान अधिप्राप्ति योजना के सफल क्रियान्वयन के उपरांत इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूरे राज्य के निबंधित किसानों से कुल 80.00 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 15 दिसम्बर 2022 से प्रारंभ कर दी गई है एवं पूरे राज्य में लगभग 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केन्द्र एवं पंजीकृत किसानों की संख्या 3.00 लाख तक की जानी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान 2040 रू0 प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए धान 2060 रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बोनस के रूप में 10 रू0 प्रति क्विंटल दिया जा रहा है।

सहकारिता प्रक्षेत्र में चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम

जनजागरुकता एवं लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के सहकारिता प्रक्षेत्र से आमजनों को जोड़ने के लक्ष्य के तहत पूरे राज्य में प्रखण्ड स्तर से लेकर जिला एवं राज्य स्तर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग में लगातार चलाये जा रहे हैं।

• लाह खेती, पर प्रशिक्षण

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड की लाह खेती का वैज्ञानिकीकरण एवं उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य सहकारी लाह क्रय विक्रय एवं आहरण संघ (झास्कोलैम्पफ) द्वारा इससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रम एवं उससे संबंधित प्रशिक्षण का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है

• लाह खेती योजना

लाह की खेती किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से की जाय ताकि उससे उत्पादन तो अधिक हो ही साथ ही उसकी गुणवत्ता भी और बेहतर हो सके उससे संबधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान, नामकोम के तकनीकी सहयोग सफलता पूर्वक सम्पन्न कराया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पांच दिवसीय था तथा विभिन्न चरणों में राज्य के 200 कृषकों को यह प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।

• लाह मूल्य संवर्द्धन प्रशिक्षण

कृषकों को अपने उत्पादित लाह का किस प्रकार अधिक मूल्य प्राप्त हो सके साथ ही कैसे उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके इस योजना के तहत राज्य के 250 लाह कृषकों को लाह मूल्य संवर्द्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

10 दिवसीय यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान, नामकोम के तकनीकी सहयोग से चलाया गया जिसमें संस्थान के विशेषज्ञों ने कृषकों को मूल्य संवर्द्धन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां साझा की।

नोटः– प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत लाह कृषकों 90 प्रतिशत अनुदानित दर पर लाह खेती से संबंधित टूल कीट्स भी प्रदान किये गये।

• राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव, 2022

रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव, 2022 में झास्कोलैम्पफ रांची के प्रतिष्ठित शोरुम "कुसुम" मेले में आये लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहा।

• अंकेक्षण की समान लेखा प्रणाली (Common Accounting System) पर प्रशिक्षण

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, गुंगुटोली राँची मे एक समान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत वरीय अंकेक्षण पदाधिकारीगण का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नाबार्ड के द्वारा लैम्पस/पैक्स के लिए तैयार किये गये समान लेखा प्रणाली (Common Accounting System) एवं अंकेक्षण से संबंधित अति महत्वपूण बिन्दुओं से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

- An Introdiction of Common Accounting System in Varius Heads of Accounts under CAS, Books of Accounts under CAS
- Acts & Rules regarding Audit & Election
- Statutory Provisions & Compliances
- Maintenance of Books of Accounts under CAS
- Audit Mannual

- Prudential Norms & NPA Management, KYC, Calculation of Net worth, CRAR etc
- Preparation of Financial statements & Analysis of Financial statements & Writing of Audit Report
- Conversation

मुख्य रुप से नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक, संयुक्त निबंधक, स0स0, द0छो0प्र0, राँची, निबंधक के पैनल में शामिल चाटर्ड एकाउंटेंट, एवं विभाग के वरीय अंकेक्षण पदाधिकारियों तथा सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के व्याख्याताओं द्वारा राज्य के सभी जिला से आये अंकेक्षण पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

समान लेखा प्रणाली (Common Accounting System) के संबंध में बताया गया कि समितियों में विभिन्न तरह के लेखा प्रणाली का उपयोग हो रहा था जिसमें एकरूपता लाने के लिए एक निश्चित लेखा प्रणाली लागू करना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत रोकड़ बही, दैनिक बही, जेनरल रेजर, व्यक्तिगत बचत, आवर्ती, सावधि, गृह लक्ष्मी, कर्ज बही, आदि 26 तरह के प्रारूप को दिखाते हुए इसमें प्रविष्टि किये जाने के बारे में बताया गया।

Statutory Provisions & Compliances के अंतर्गत एन0पी0ए0, टी0डी0एस0, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने आदि से संबंधित जानकारी भी सभी वरीय अंकेक्षण पदाधिकारीगण को दी गयी।

• हजारीबाग जिले में सहकार संवाद कार्यक्रम

संयुक्त सहकारिता भवन, हजारीबाग के सभागार में सहकारिता प्रभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी जिले की सहकारी समितियों के सदस्यों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 23 दिसंबर, 2022 को एक दिवसीय सहकार संवाद के नाम से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक द्वारा दीप प्रज्जवलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए सहकारिता के प्रक्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों एवं समय के साथ उसमें बदलावों के बारे में उपस्थित सहकार बंधुओं को अवगत कराया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में हजारीबाग जिले के जिला सहकारिता पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी एवं डी0डी0एम नाबार्ड के द्वारा मुख्य रुप से सहकारी संबंधी जानकारियां को पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों एवं समिति के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया गया।

राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय

देश में सहकारिता के परिक्षेत्र में एकरूपता लाने तथा इसमें विशेषज्ञ एवं जानकार युवाओं की भागीदारी बढाकर इसे और व्यापक तथा नवीनतम जानकारियों से युक्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय खोलने की योजना है।

- देश में सहकारी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक की सहकारी समितियों से सम्बंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- देश में मौजूदा और नई सहकारी समितियों की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य एवं इक्छुक युवाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना।
- देश में मौजूदा 220 सहकारी शिक्षा केंद्रों हेतु मानदंड का निर्धारण करके उन्हें समेकित कर संबद्धता प्रदान करना।
- सहकारिता में उच्चत्तर एमबीए डिग्री से लेकर, नीचे विशेषज्ञता एवं डिप्लोमा तक की पढाई की सुविधा प्रदान करना।
- सहकारी क्षेत्र में मौजूदा कर्मचारियों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का निर्धारण कर उसे प्रारंभ करना।
- सामान्य निकाय के सदस्यों, निदेशक मंडल और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।

SAFAL ग्राम योजना से सफलता के नए आयाम

झारखण्ड की भूमि वीरों की भूमि रही है। यह भूमि बिरसा मुण्डा, गया मुण्डा, सिद्धो–कान्हो, नीलांबर–पीताम्बर, जतरा भगत, टाना भगत आदि अनेक वीर नायकों के उलगुलान (आंदोलन) और बलिदान की साक्षी है जिन्होने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और समाज को संगठन एवं समर्पण की सीख के साथ एक नई दृष्टि प्रदान की। इन वीर शहीदों की स्मृति मे झारखण्ड सरकार ने शहीदों के गाँव में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से 10 शहीद ग्रामों के चयन की घोषणा की है।

सहकारिता विभाग अंतर्गत लघुवनोपज पर कार्य कर रही राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था झाम्फकोफेड (झारखण्ड राज्य लघुवनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लिमिटेड) द्वारा लघुवनोपज एवं कृषि आधारित क्रियाकलापों की सहायता से गाँवों मे आजीविका सृजन हेतु एक महत्वकांक्षी योजना SAFAL (Sustainable Activities for Forest and Agriculture Based Livelihood) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत प्रथम SAFAL ग्राम के रूप मे गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखण्ड स्थित अमर शहीद जतरा भगत, टाना भगत के गाँव चिंगरी नवाटोली का चयन कर इस योजना की शुरूआत की जा रही है।

शहीद ग्राम चिंगरी नवाटोली प्रकृति की गोद में स्थित लघुवनोपज संसाधनों से परिपूर्ण ग्राम है जहाँ इमली, चिरौंजी, महुआ, केन्द, कुसुम, आम, करंज आदि लघुवनोपज प्रचूर मात्रा मे उपलब्ध हैं। कृषि जनित उपज में धान, उड़द, अरहर, मडुआ, मूँगफली आदि फसलें उगाई जाती है। शहीद ग्राम में लघुवनोपजों के विनाश विहीन विदोहन हेतु गाँव की 20 महिला संग्राहकों को झाम्फकोफेड द्वारा Sustainable Harvesting Tool Kit उपलब्ध कराया गया है। झाम्फकोफेड द्वारा SAFAL कार्यक्रम अंतर्गत वैसे 5 शहीद ग्रामों में योजना क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है जहाँ लघुवनोपज की प्रचुरता है। इसके साथ–साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्रों को भी SAFAL ग्राम योजना हेतु चयनित किया गया है। झारखण्ड के वन बहुल प्रखण्डों में स्थापित प्रत्येक प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र, झाम्फकोफेड की देख–रेख में लघुवनोपज आहरण, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से प्रत्येक केन्द्र की 300 जनजातीय महिलाओं के आजीविका संवर्धन पर कार्य कर रहे हैं।

SAFAL ग्राम योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित गाँवों की सूचीः–

1. शहीद ग्राम उलीहातु, खूँटी। (शहीद बिरसा मुण्डा का गाँव)
2. शहीद ग्राम एटकेडीह, खूँटी। (शहीद गया मुण्डा का गाँव)
3. शहीद ग्राम मदगड़ी, भण्डरिया, गढ़वा। (शहीद नीलाम्बर–पीताम्बर का गाँव)
4. वन–धन विकास केन्द्र (VDVK), बरहेट, साहेबगंज।
5. वन–धन विकास केन्द्र (VDVK), मण्डरो, साहेबगंज।
6. वन–धन विकास केन्द्र (VDVK), सेरका, बिशुनपुर, गुमला।
7. वन–धन विकास केन्द्र (VDVK), डुमरी, गुमला।
8. वन–धन विकास केन्द्र (VDVK), दारू, हजारीबाग।
9. वन–धन विकास केन्द्र (VDVK), गोइलकेरा, प० सिंहभूम।
10. वन–धन विकास केन्द्र (VDVK), हाटगम्हरिया, प० सिंहभूम।

झाम्फकोफेड द्वारा शहीद ग्राम में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की योजना "MSP for MFP Scheme" तथा प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र के माध्यम से गाँव की महिलाओं को आजीविका संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगामी वर्षों में संघ के द्वारा गाँव में Skill Development को बढ़ावा देकर कृषि एवं वनोपज प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने का लक्ष्य है। विभिन्न विभागों के साझा प्रयास से SAFAL ग्राम तक सरकार की कल्याणकारी योजनाऐं पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है।

निबंधक सहयोग समितियां, झारखण्ड रांची के कार्यालय में उप निबंधक, सहयोग समितियां के पद पर पदस्थापित श्री श्रीकृष्ण भगत, दिनांक 31 दिसंबर, 2022 को लगभग 32 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवानिर्वत हो गये।

अपने शालीन व्यवहार एवं शांत तथा स्थिर व्यक्तित्व के लिये विभाग में जाने जाने वाले श्रीकृष्ण भगत B.P.S.C की 35 वीं बैच के सहकारिता सेवा के पदाधिकारी थे तथा अपने 32 वर्षों के सेवाकाल में राज्य के कई जिलों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

निबंधक कार्यालय के वाहन चालक श्री सुशील कच्छप एवं अनुसेवक श्री मोहम्मद अशरफ भी इस दौरान सेवा निर्वत हुए हैं।

सहकारिता परिवार श्री श्रीकृष्ण भगत, श्री सुशील कच्छप एवं अनुसेवक श्री मोहम्मद अशरफ एवं उनके परिवार के सुखद,स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता है।

जनजातीय व्यापार मेला

श्री सांई स्वावलंबी औद्योगिक सहकारी समिति द्वारा अद्वितीय जनजातीय कार्यों, परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले तीन दिवसीय जनजातीय व्यापार मेले का आयोजन राज्य की राजधानी रांची के लोयोला मैदान में सफलता पूर्वक किया गया। मेले में मुख्य रूप से जनजातीय समाज के उद्यमियों एवं कारीगरों द्वारा निर्मित जैविक और स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन एवं विपणन किया गया।

आदिवासी व्यापार मेला, 2022 में पूरे झारखंड के आदिवासी उद्यमियों ने भाग लिया. मेले का उद्देश्य युवा आदिवासी उद्यमियों को बढ़ावा देना और मुख्यधारा के व्यवसायों में उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान करना था

मेले में पारंपरिक खाद्य पदार्थों जैसे 'मडुआ'; शहद और इमली से बने उत्पादन परंपरागत वेषभूषा आदिवासी कलाकारों द्वारा पारंपरिक पेंटिंग औषधीय जड़ी बूटियों और स्वदेशी हस्तशिल्प; डोकरा और सोहराई कला की कृतियाँ; लोहे के शिल्प और छऊ मास्क सेरीकल्चर और खाद्य प्रसंस्करण की वस्तुएं; अरूस गुमला के पारंपरिक 'गमछे' (शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को ढंकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक कपड़े का एक लंबा टुकड़ा); हाथ से बने पर्स; स्कूल ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड ट्रेनिंग, कोवर कला चित्र और 'मांदर' (पारंपरिक ड्रमिंग इंस्ट्रूमेंट); जैविक स्वाद वाले शहद का विपण न किया; बीड्सचार्म्स एसेसरीज, फोन चार्म्स; अंगूठियां; मास्क; चेन; मोतियों से बने सजावटी सामान के स्टाल्स के अलावा विभिन्न फूड स्टॉल, टैटू आर्टिस्ट, हेयर एक्सपर्ट, होम डेकोर आइटम और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी शामिल थीं, जो हस्तनिर्मित थीं।

इन्वेस्टर्स / पैनालिस्ट्स चर्चा :

जनजातीय समुदाय द्वारा निर्मित वस्तुओं एवं कलाकृतियों के अलावा मेले में आदिवासी उधमियों एवं उनके उधोग को बढावा एवं सही दिशा देने के उद्देश्य से मेले में इन्वेस्टर्स मीट का भी आयोजन किया गया जिसमे कई क्षेत्रों से जुड़े इन्वेस्टर्स ने भाग लिया और झारखण्ड के जनजातीय समुदाय को नए व्यवसाय एवं उद्योगों की स्थापना तथा उसे सुचारू रूप से चलाने में होने वाली परेशानियों / कठिनाइयों से अवगत कराते हुए उसके समाधान से सम्बंधित जानकारियों एवं सवालों पर पैनल चर्चा की गयी। मेले में भाग लेने वाले कई उद्यमियों को भी पैनलिस्ट के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। पैनलिस्टों ने आदिवासी उद्यमियों को चुनौती देने वाली विभिन्न बाधाओं पर चर्चा करते हुए बताया कि 'पूंजी' की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। आदिवासियों ने हाल ही में व्यावसायिक प्रथाओं में प्रवेश किया है और यद्यपि युवा आदिवासी उद्यमी नवाचार और रचनात्मकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूंजी और निवेश में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कुटीर उद्योगों के बारे में भी चर्चा की गई, जो कि बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण महिलाओं द्वारा चिन्हित हैं।

सूक्ष्म, लघु और माध्यम उधम (MSME) की कार्यशाला :

सूक्ष्म, लघु और माध्यम उधम के सहायक निदेशक ने कार्यशाला में आह्वान किया कि जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक अंतर–आदिवासी व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य रखने वाले उद्यमी उद्यम एक दूसरे के संपर्क में रहें आपस में

बात और चर्चा कर अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं के समाधान करने का प्रयास करें।

उन्होंने मेले में शामिल उद्यमियों को उचित दस्तावेज और फर्म पंजीकरण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए नए उद्यमियों को (MSME) के कार्यालय में आने और उसके माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभ के लिए पंजीकृत कराने का सुझाव दिया।

अपराध अनुसन्धान विभाग C.I.D द्वारा साइबर अपराध के प्रति प्रचार :

दिनोदिन साइबर अपराध की बढती घटनाओं एवं ठगी के नए नए तरीकों को देखते हुए जनजातीय व्यापार मेले के मंच पर साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सीआईडी टीम द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। सीआईडी टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर जागरुकता कार्यक्रम किया गया। अपने मजेदार अभिनय के माध्यम से, उन्होंने साइबर सुरक्षा के महत्व को चित्रित किया और जनता को सतर्क रहने की अपील की।

अपने प्रदर्शन के माध्यम से अपराध अनुसन्धान विभाग के पदाधिकारियों ने मेले में उपस्थित लोगों को बताया कि झारखंड में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस के प्रयास तभी सफल होंगे जब पुलिस प्रशासन के साथ आम जनता भी जागरूक होगी। इसके लिए जनता को भी स्वयं को सतर्क रहकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष, विकास आयुक्त, झारखण्ड रांची के आदेश के आलोक में योजना अन्तर्गत रबी मौसम 2022 के लिए गेहूं, आलू, सरसों और चना फसल को अधिसूचित किया गया है।

रबी 2022 के लिए किसानों द्वारा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15.03..2023 निर्धारित की गयी है।

राज्यस्तरीय रब्बी कर्मशाला – 2022

माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश एवं उनकी भावनाओं के अनुरूप राज्य की जनता के हित में कृषि के क्षेत्र में हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया है। राज्य कोरोना महामारी के दौरान चुनौतियों से गुजरा है और उसके बाद सुखाड़ की त्रासदी को भी झेला है और अब कोविड के लौटने की आहट फिर से सुनाई दे रही है, इसके बाद भी जो वादा अन्नदाता के साथ हमने किया है उसे पूरा करने का लक्ष्य है। हमने किसानों की आहों को सम्मान देने का काम किया है। उक्त बातें राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल ने हेसाग स्थित पशुपालन भवन में राज्यस्तरीय रबी कर्मशाला 2022 में रांची प्रमंडल कृषि, पशुपालन, गव्य, सहकारिता तथा मत्स्य प्रभाग के उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं वर्चुअल मोड से जुड़े राज्य के सभी विभागीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।

स्मार्ट विलेज की कल्पना को साकार करने के लिए संबंधित सभी विभाग के साथ को–आर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि किसान मित्र से सहयोग लेकर उन किसानों को सहयोग करें, जो प्रज्ञा केंद्र नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने वंचित किसानों को योजनाओं से जोड़ने की बात कहीं और कहा कि ऐसे किसानों की सूची तैयार करें, ताकि योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। सरकार के 3 साल में हम राज्य के 30 लाख किसान परिवार तक पहुंच रहे हैं, यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमारा लक्ष्य राज्य के 5800000 किसानों तक पहुंचना है और राज्य की जीडीपी में 20% तक राज्य के किसानों का योगदान सुनिश्चित करना है।

श्री बादल ने कहा कि सहकारिता के तहत पांच लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं, सहकारिता में जो नए सदस्य बने हैं, वह कितने सक्रिय हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

राज्यस्तरीय रबी कर्मशाला को संबोधित करते हुए विभाग के सचिव अबुबक्कर सिद्दीख पी. ने कहा कि कृषि सेक्टर को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि देश की जीडीपी में 20 प्रतिशत योगदान कृषि का है। विभाग का लक्ष्य है खाद्य आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर राज्य के किसानों को स्वावलंबी बनाना। उन्होंने बताया कि किसानों की कर्ज माफी सफलतापूर्वक की गई है। साथ ही बीज वितरण में पूरी तरह से पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री पशुधन योजना स्मार्ट विलेज और कृषक पाठशाला जैसी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पदाधिकारियों को कहा कि किसानों को सहयोग दें और हर किसान लाखों रुपए कमाने में सक्षम हो। किसानों को तकनीकी मदद देने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करें।

कर्मशाला में कृषि निदेशक श्रीमती निशा उरांव ने कहा कि चुनौती काफी विकट थी। 226 प्रखंड सुखाड़ की चपेट में थे, जिन्हें सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार से हमने 9000 करोड़ रुपए की मांग की है। इस बार हमने प्रत्येक प्रखंड के 10 गांव का स्थल निरीक्षण किया, साथ ही 5 गांव की जियो टैगिंग भी सुनिश्चित की गई। उसके बाद इन क्षेत्रों को सुखाड़ घोषित करने की अनुशंसा केंद्र को भेजी गई। उन्होंने बताया कि पिछले साल खरीफ की पैदावार 53 लाख मीट्रिक टन थी और कुल 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ की फसल हुई थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बीज वितरण में 90 फीसदी और 100 फीसदी अनुदान दे रही है, जबकि पिछले साल तक यह अनुदान 50% ही था। इस बार 80 हजार क्विंटल बीज वितरण किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। बीज वितरण के काम में एफपीओ को लगाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कई नए एफपीओ को लाइसेंस भी दिया गया है।

निबंधक सहयोग समितियां श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने बताया कि खरीफ के बाद सुखाड़ हुआ है। अब बीज का वितरण करके आगामी फसल की तैयारी करनी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना के तहत 461 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है तथा प्रथम चरण में लगभग 10 लाख किसानों के खाते में ₹3500 ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए 5.75 लाख किसान परिवार का डाटा उपायुक्त स्तर से अप्रूव भी हो चुका है।

कर्मशाला में मुख्य रूप से पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा, विशेष सचिव श्री प्रदीप हजारे एवं विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रधान सम्पादक : मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, स0 स0, झारखण्ड **सम्पादक** : जय प्रकाश शर्मा, उप निबंधक, स0 स0
सम्पादकीय सहयोग : राकेश कुमार सिंह, स0 नि0, कुमोद कुमार, स0 नि0, कालीचरण सिंह, स0 नि0 एवं राजीव कुमार सिंह, व.अं.
निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं अन्नपूर्णा प्रेस एण्ड प्रोसेस, राँची द्वारा मुद्रित।
पता : तृतीय तल, पशुपालन एवं सहकारिता भवन, हटिया - 834004, दूरभाष : 0651-2290444
e-mail : jharkhand.coopregistrar@gmail.com, website : cooperative.jharkhand.gov.in